रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1712] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 22, 2013/आषाढ़ 31, 1935

No. 1712] NEW DELHI, MONDAY, JULY 22, 2013/ASADA 31, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2013

का.आ. **2224(अ)**.—केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1035 (अ), दिनांक 7 मई, 2010 द्वारा बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 के 1.430 किमी से 70.000 कि.मी (मोकामा से मुंगेर सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा था;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्डों, स्थायी पुलों, बाइपासों और सुरंगों के उपयोग के लिए शुल्क के संग्रहण हेतु, सा.का.नि 838 (अ), दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 सा.का. नि. 950 (अ), दिनांक 3 दिसम्बर, 2010 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम 2008 बनाये हैं और इनमें सा.का.नि. 15 (अ), दिनांक 12 जनवरी, 2011 द्वारा संशोधित किये हैं।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम 2008, जिसमें समय–समय पर संशोधन किये गये हैं (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 80 पर 1.430 किमी से 70.000 किमी (मोकामा से मुंगेर सेक्शन) तक के खण्ड के उपयोग के लिए नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 60.47 किमी हेतु दो लेन अथवा अधिक के पेव्ड शोल्डर सहित के खण्डों के उपयोग हेतु सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) शुल्क उद्ग्रहीत करती है तथा प्राधिकरण को उक्त शुल्क अपने पदाधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम

सारणी–1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीन (एचसीएम) अथवा मिट्टी खोदने के उपकरण (इएमइ) अथवा मल्टी एक्सल वाहन (एमएवी) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नियम 4 (3) के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के 2 लेन वाले खण्ड के उपयोग के लिए शुल्क की दर 60% होगी।

2. नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाजा पर ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क खण्ड की निवल लम्बाई हेतु, शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
23.500 किमी (लखीसराय जिले में बालगुदर गांव के पास)	60.47

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, एक बाइपास (बरहिया बाइपास) जिसकी लागत 10 करोड़ रुपए या अधिक है, के पूरा होने पर निम्नलिखित टोल प्लाजा पर ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास की लम्बाई हेतु, आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से भी शुल्क शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	बाइपासों की लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है
23.500 किमी (लखीसराय जिले में बालगुदर गांव के पास)	8.10 किमी (बरहिया बाइपास)

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर–वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस कि.मी. तक की दूरी में ही रहता हो उसके लिए वर्ष 2013–14 के लिए मासिक पास की दर 215.00 रुपए (दो सौ पन्द्रह रुपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जायेगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो–तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

Table 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1 As per Rule 4(3), the rate of fee for use of a section of NH having 2-lanes shall be 60%.

2 The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for net road length specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km 23.500 (near Balgudar village in Lakhisarai district)	60.47

3 In addition to above, the fee shall also be due and payable for one no. of bypass (Barahiya Bypass) costing Rs 10 crore or more at the following Toll Plaza at one and half times of the base rate for the length of bypass specified for such Toll Plaza as under after completion of the said bypass.

Location of Toll Plaza (chainage)	Length of bypasses (in km) for which additional fee is payable
Km 23.500 (near Balgudar village in Lakhisarai district)	8.10 Km (Barahiya Bypass)

4 The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 215.00 (Rupees Two Hundred Fifteen only) for the year 2013-14 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

5 For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty or more	One month from date of payment

6 Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7 Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher [illegible]

8 All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

9 The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10 Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

11 The estimated capital cost of the project is Rupees 351.54 crores. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[No. NHAI/13013/721/CO/12-13/GC- Begusarai (1.43 – 70.00)]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.